



NEW MAADITYA CO-OPERATIVE (URBAN) THRIFT & CREDIT SOCIETY LTD.

साधारण ऋण एवं आकस्मिक ऋण वाले सदस्यों को इस सर्कुलर के द्वारा ऋण अदायगी से सम्बन्धित नियम लिखित में प्रस्तुत है। कृपया सर्कुलर में लिखे दिशा-निर्देश के अनुसार साधारण ऋण एवं आपातकालीन लोन की नियमित अदायगी सुनिश्चित करें।

साधारण ऋण लेने वालों के लिए

- अगले माह से सी0डी के साथ-साथ ब्याज तथा ऋण की किश्त की राशि जमा कराना आवश्यक है।
- जो राशि कम से कम करनी है :- (11 तारीख तक)

ऋण	C.D.	ऋण की एक माह किस्त	कुल किस्त	अधिकतम माह
50,000	200	1,733	1,933	ब्याज की राशि घटते हुए दर पर लागू
1,00,000	200	3,467	3,667	
1,50,000	200	5,200	5,400	
2,00,000	200	6,933	7,133	

- ऋण की कोई भी किश्त बैंक द्वारा भरे जाने से आपका रिकॉर्ड अच्छा बनेगा।
- 11 तारीख के बाद ब्याज की राशि 18% प्रतिवर्ष की दर से लगेगा।
- 30 तारीख के बाद 18% प्रतिवर्ष के अतिरिक्त 150/-रु निलंबन चार्ज लिया जाएगा।

आकस्मिक ऋण (इमरजेंसी लोन) लेने वालों के लिए

- आकस्मिक ऋण (इमरजेंसी लोन) की अधिकतम सीमा 25,000/- रुपये है।
- अगर आपका साधारण लोन चल रहा है तो अन्य किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाएगा।
- रजिस्टार कार्यालय/दिल्ली सरकार के अनुसार इस ऋण की अदायगी ब्याज सहित प्रत्येक माह की 01 तारीख से 11 तारीख के अंदर माह में समाप्त करना होता है। ई. एम. आई. चार्ट के अनुसार लोन खत्म करना होता है।

ऋण	C.D.	किस्त	कुल किस्त
10,000/-	200/-	1,070	1,270
15,000/-	200/-	1,103	1,303
20,000/-	200/-	1,136	1,336
25,000/-	200/-	1,171	1,371
30,000/-	200/-	1,205	1,405

ब्याज प्रत्येक माह शेष ऋण पर लगेगा परन्तु ऋण किस्त वही रहेगी और ब्याज घटते क्रम में लिया जाएगा। कृपया नियमित रूप से अदायगी करें। 11 तारीख के बाद ब्याज 18% होगा। ऋण किस्त न देने पर दंड ब्याज और 100/- प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा।